


आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ जुड़िए

अब आपके निकटतन सीएससी सेंटर पर उपलब्ध



मोटर टीपी के कवर की सीमा

- ▶ संपत्ति को नुकसान के लिए **7.5 लाख** का अधिकतम कवर
- ▶ शारीरिक चोट / तीसरे व्यक्ति की मृत्यु के मामले में असीमित मुआवजा

अपवर्जन

- ▶ दुर्घटना में अपनी कार/ स्वयं को कोई नुकसान
- ▶ अलकोहल या ड्रग्स के प्रभाव में रहते हुए वाहन के मालिक द्वारा किया गया नुकसान/ देयता
- ▶ ड्राइविंग के लिए कोई वैध लाइसेंस/ अधिकार नहीं होने पर ड्राइवर द्वारा किया गया दुर्घटनावश नुकसान
- ▶ जानबूझकर दुर्घटनावश नुकसान करना
- ▶ मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल खराबी
- ▶ घर्षण और टूट फूट
- ▶ फेल्योर या खराबियाँ

हमारे बारे में

- ▶ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वित्त वर्ष 2020 में कुल डायरेक्ट प्रीमियम आय के आधार पर भारत का विशालतम निजी क्षेत्र का नॉन-लाइफ इंश्योरर है (स्रोत: आईआरडीए)
- ▶ हमने 2001 में अपना प्रचालन आरंभ किया था. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹135.92 बिलियन कुल रिटेन प्रीमियम के साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी लि. ने 26.2 मिलियन पॉलिसियाँ जारी की हैं और 31 मार्च 2020 तक 1.8 मिलियन दावों का निपटारा किया है. 96.5% पॉलिसियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की गईं.
- ▶ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बिजनेस टुडे – मनी टुडे फायनांशियल अवॉर्ड्स, मार्च 2020 में 'बेस्ट जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ द इयर' और 'बेस्ट मोटर इंश्योरर ऑफ द इयर (जाइंट)' अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया था.
- ▶ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को इन एंड ब्रैंडस्ट्रीट बीएफएसआई समिट एंड अवॉर्ड 2020 में 'भारत की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी - प्रायवेट' के रूप में आँका गया था.

हमारे उत्पाद

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अब सीएससी-डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ये मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रदान करती है

2 व्हीलर
थर्ड पार्टी पॉलिसी



पैसंजर कैरिंग वेहिकल
(पीसीवी) टीपी



कार टीपी

गुड्स कैरिंग वेहिकल
(जीसीवी) टीपी



मिसेलेनियस टीपी
(टैक्टर सहित)



मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर

थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष) कौन है?

वाहन मालिक और उसके साथी सवारियों के अलावा सड़क दुर्घटना में शामिल कोई व्यक्ति, जिसे या तो शारीरिक क्षति पहुंची है या उसके वाहन/ संपत्ति को नुकसान हुआ है, वह दुर्घटना में थर्ड पर्सन कहलाता है.

इसका चयन क्यों करना चाहिए?

भारत सरकार ने आदेश दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार हर वाहन का थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए.

समावेशन



शारीरिक चोट



संपत्ति को नुकसान
और व्यक्ति की मृत्यु

अधिक विवरणों के लिए

कोई जरूरत हो तो
कृपया हमारी टीम से संपर्क करें :

